

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक सितम्बर, 2017

विषय :- कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी०टी० रोड़ किमी० 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिदुर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उप पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/19/2017/एफसी/309 दिनांक 18.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से REC की बैठक दिनांक 07.09.2017 में दिये गये निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।।

2- विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 18.09.2017 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अपेक्षा के अनुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,  
  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।